B-II
L-30
I. Polity

संसदीय प्रणाली

अयोग्यता :-

- कोई व्यक्ति लाभ के पद पर हो।
- सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित का घोषित कर दिया गया हो।
- अनुमोचित दिवालिया हो गया हो।
- किसी अन्य देश की नागरिकता ली हो।
- भारत की नागरिकता छोड़ दी हो।
- किसी अन्य राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त की हो

उपरोक्त संविधान में उल्लेखित अयोग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति (राज्यपाल) के द्वारा किया जाता है जिसके लिए वे निर्वाचन आयोग से सलाह लेंगे।

संविधान में लाभ का पद परिभाषित नही है लेकिन 1959 में संसद के द्वारा लाभ के पद से छूट संबंधी अधिनियम का निर्माण किया गया और प्रत्येक राज्य विधान मण्डल के द्वारा अपने पृथक लाभ के पद संबंधी अधिनियमों का निर्माण किया गया है। संसदीय अधिनियम में अनेक संशोधन किए गए हैं जिसमें वर्ष 2006 में भूत लक्षी संशोधन किया गया।

- इसी वर्ष 2006 में ही जया बच्चन वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक

Scanned by CamScanner

ऐसे पद पर नियुक्त है जहाँ वह दूसरे को प्रभावी कर सकता है उसे लाभ का पद माना जायेगा भले ही वह वेतन भत्ता न ले रहा हो।

- हाल ही में झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध लाभ के पद पर होने का आरोप लगाया गया और इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को सिफारिश भी दी "यदि वे लाभ के पद पर हैं" लेकिन राज्यपाल ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

संसदीय अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अयोग्यता

- संविधान के अनुसार उपरोक्त अयोग्यता के अतिरिक्त संसद विधि के द्वारा अन्य अयोग्यताओं का निर्धारण कर सकती है जिसके अन्तर्गत संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का निर्माण किया जिसमें निम्नलिखित आधारों पर किसी संसद या विधायक को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

(i) चुनाव में भ्रष्ट आचरण का प्रयोग।

(ii) किसी विधायक या सांसद को न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दे दी जाए।

Scanned by CamScanner

इंदिरा गांधी के चुनाव को रायबरेली से ही भ्रष्ट आचरण से ही रद्द किया गया था (1971)। और हाल ही में गुजरात के एक जनपद न्यायालय के द्वारा राहुल गांधी को मानहानि के आरोप में दो वर्ष की सजा दे दी। अतः उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने जनपद न्यायालय द्वारा दी गई इस सजा को समाप्त कर दिया अतः वह पुनः संसद बन गए। यही मामला लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद अफजल का था।

- लिली थामस बाद में (2013) उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया, यदि किसी सांसद या विधायक को दो वर्ष की सजा प्राप्त हो जाए तो तत्काल उसकी सीट खाली हो जायेगी RPA 1951 (8)(4) लेकिन इस निर्णय में एक बड़ी विसंगति विद्यमान है क्योंकि जनपद न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय परिवर्तित कर सकता है जिसके परिणाम स्वरूप पुनः उस व्यक्ति की सदस्यता को बहाल करना होगा और यदि उस दौरान नया निर्वाचन हो गया तो एक ही लोकसभा के दो सांसद बन जायेंगे जो एक संवैधानिक संकट है।

Scanned by CamScanner

दल-बदल के अंतर्गत अयोग्यता :-

52 संविधान संशोधन | 91वाँ संविधान संशोधन

→ अभिप्राय

(i) MP/MLA – पर लागू होता है।

(ii)
- → दल का सदस्य
  - → दल की सदस्यता से त्यागपत्र
  - → दल के निर्देश का उल्लंघन
- → निर्दलीय — यदि किसी दल की सदस्यता प्राप्त करे।
- → मनोनीत — यदि 6 महीने के बाद किसी दल की सदस्यता प्राप्त करे

KCS IAS

दल-बदल के इस प्रावधान में ऐसा प्रतीत होता है कि सदन की कार्यवाही के दौरान कोई भी सांसद या विधायक दल के निर्देश की अवहेलना नहीं करेगा लेकिन जब सदन सत्र में न हो तब विधायक या सांसद अपने दल के विरुद्ध कार्य कर सकता है

इसी के लिए स्पीकर ने कहा है दल-बदल विरोधी गतिविधि के आधार पर भी किसी सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

दल-बदल के अपवाद :-

- यदि राजनीतिक दल किसी सांसद या विधायक को दल की सदस्यता से बर्खास्त कर दे।
- यदि किसी दल के दो तिहाई सांसद / विधायक अपना नया दल बना लें या किसी दूसरे दल में विलय कर लें।
- स्पीकर
- उपाध्यक्ष स्पीकर
- राज्य सभा का सभापति
- उपसभापति

निर्णय

- निर्णय स्पीकर करता है

स्पीकर और उच्चतम न्यायालय :-

- दसवीं अनुसूची के अनुसार दल-बदल के संबंध में निर्णय देने का अन्तिम अधिकार स्पीकर का है या पीठासीन अधिकारी का है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने किहो तो होलोहान (1993) वाद में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि स्पीकर को सदन के संचालन की पूर्ण शक्ति है लेकिन जब किसी सांसद या विधायक को अयोग्य

Scanned by CamScanner

घोषित करता है तो यह इसकी अर्ध-न्यायिक शक्ति है और इस समय वह एक अधिकरण के रूप में कार्य करता है जिसके निर्णयों का पुनरावलोकन होगा।

संविधान में शक्ति पृथक्करण का विचार अंतर्निहित है जिसके अनुसार संसद के किसी पदाधिकारी के द्वारा किए गए कार्य के लिए न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा और सदन के संचालन में प्रक्रियाओं का निर्धारण भी सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा (121, 212)।

- यह भी वास्तविक मुद्दा है कि स्पीकर से तटस्थ और निस्पक्ष रूप में कार्य करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन दल-बदल के संबंध में स्पीकर दलीय हितों को प्राथमिकता प्रदान करता है, जहाँ न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया और हाल ही में महाराष्ट्र में स्पीकर के द्वारा जानबूझ कर निर्णय को लम्बित किया गया।

पहली बार उच्चतम न्यायालय ने स्पीकर के निर्णय के लिए एक समय सीमा का भी निर्धारण कर दिया।

Scanned by CamScanner

लोकतंत्र और दल-बदल अधिनियम :-

- आलोचक यह मानते हैं कि दल-बदल का यह प्रावधान दल-बदल प्रतिबंधित करने में विफल हो गया और इसका एक उल्टा प्रयोग देखा जा रहा है क्योंकि अब कोई भी सांसद या विधायक सदन में दल के विरुद्ध नहीं बोल सकता जिससे सदन में चर्चा और परिचर्चा का ह्रास हो रहा है और किसी विधेयक या प्रस्तावों पर पूर्ण चर्चा नहीं हो पाती। सांसद या विधायक दलीय निर्देशों का गुलाम हो गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि दल का हित जनता की इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन कि हो तो होलोहान केस में उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को संवैधानिक कहा।
- दल-बदल में संसदीय लोकतंत्र में स्थापित के बीच का मुद्दा।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner